REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR
BHIWADI
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2015000027 Dated : 02/01/2015
Presenter Name : SMT.SHILA DEVI Face Value : 0
Presenter Address : VILLAGE THADA TEHSIL TIJARA ALWAR
Document Type : Power of Attorny When Power Given to Prom.for Const/Sale
Claimant Name : M/S SHILPKAR HOUSING PVT.LTD. THRO BY/ AJAY JINDAL, 9 GRPUND FLOOR EDMONTON MALL THE BRISTOL HOTEL GURGAON
Document S.No. : 2015000031 Stamp Value : 100

Ordinary Registration Fee	: 10000	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Surcharge on Stamp Duty	: 10		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 10310

--------------------Already Paid--------------------

E-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : 208577 / Amount : 10310
DD Drawn Bank : ICICI / 31/12/2014

(Paid) - EGRAS GRN No. : / Amount : 0
Deposit Bank : / Date :

(Paid) - E-Stamp Id No. : / Amount : 0
E-Stamp Date :

(Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

Amount Rs. Ten Thousand Three Hundred Ten only

कार्यालय उप पंजीयक राजस्थान सरकार भिवाड़ी (अलवर)

Cashier

Sub Registrar, BHIWADI

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Z 799481

कार्यालय उप पंजीयक राजस्थान सरकार भिवाड़ी (अलवर)

मुख्यतारनामा आम

कार्यालय जिला कोषागार 23 DEC 2014 अलवर (राज०)

सभी व्यक्तियों को ज्ञात जो इससे संबंधित है।

यह मुखत्यार नामा आज दिनांक 01.01.2015 को भिवाड़ी स्थान पर मनकि हम शीला देवी पत्नी स्व0 बिल्लू राम उम्र 38 साल, रिंकू कुमारी पुत्री स्व0 श्री बिल्लू राम उम्र 19 साल, शर्मिला पुत्री स्व0 श्री बिल्लू राम उम्र 18 साल, पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री बिल्लू राम उम्र 16साल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक सरपरस्त माता श्रीमति शीला देवी जाति अहीर निवासी गांव थड़ा , पोस्ट सीथल, (नगरीय क्षेत्र, भिवाडी) तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान के निवासी है , जिसे इस परिपत्र में मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण शब्द से सम्बोधित किया जायेगा। जिसका अर्थ जब तक विरोध आभास या इस परिवेश के विपरित ना लिया जाऐं , मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण स्वयं व उसके /उनके कानूनी वारिसान , प्रतिनिधि , कार्य अधिकारी प्रबन्धक और उसके / उनके अधिकृत व्यक्ति / संस्था आदि माना जायेगा द्वारा जिसे इस परिपत्र में मुखत्यारे आम शब्द से सबोधित किया जायेगा के पक्ष में तहरीर किया गया।

Rinkuyadav

शर्मिला

उप पंजीयक, भिवाड़ी

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

7353

निरंजन कुमार कौशिक स्टाम्प विक्रेता भिवाड़ी ला0 नं0-185/04

रजि0 क्रमांक 7353 किमत 100/- दिनांक 29/12/14

नाम M/s [illegible] प्रा0 लि0

जाति [illegible]

जरिये [illegible]

ह0 विक्रेता

निरंजन कुमार कौशिक

स्टाम्प विक्रेता भिवाड़ी

यह है कि हमारे पिता व पति स्व0 बिल्लू राम पुत्र प्यारे लाल अहीर निवासी ग्राम थड़ा ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 302 , रकबा 0.97 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 304 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.22 हैक्टेयर के अपने हिस्से 7.624 एयर के बाबत विकास अनुबंध दिनांक दिनांक 08.05.13, क्रम संख्या 2013002384/1377 दिनांक 09.05.13 को पंजीकृत मैसर्स शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0, एडमोनटन माल भूतल, बिस्टल होटल गुडगांव के साथ किया था व उक्त कम्पनी मैसर्स शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0, को जर्ये डायरेक्टर श्री अजय जिंदल स्व0 श्री पुरूषोतम गुप्ता को अपना मुख्त्यार आम दिनांक 08.05.13 को नियुक्त/निष्पादित कर, क्रम संख्या 2013000116/46 दिनांक 09.05.13 को मुख्तयारनामा आम उप पंजीयक कार्यालय भिवाडी में पंजीकृत करवाया था।

हमारे पिता स्व0 श्री बिल्लू राम की दिनांक 12.05.14 को मृत्यु हो गई है हम उक्त शीला देवी (पत्नी), रिंकु कुमारी (पुत्री), शर्मिला (पुत्री) व पवन कुमार (पुत्र) मृतक बिल्लू राम के वारिस है। और कोई अन्य वारिसान नही है

यह है कि मालिक /मालकिन आराजी जरई खसरा संख्या/रकबा प्रथम पक्ष , मनकि जोकि संयुक्त कब्जाकाश्त खातेदारी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067 कृषि भूमि आराजी ख0न0 302 , रकबा 0.97 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 304 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.22 हैक्टेयर

Rinkuyadav
शर्मिला

जोकि वाके ग्राम थडा पटवार हल्का सीथल , भूमि अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र , भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 302 रकबा 0.97 हैक्टेयर व 304 रकबा 0.25 हैक्टेयर में प्रथम पक्षकार के पति व पिता स्व0 श्री बिल्लू राम पुत्र प्यारे लाल की 7.624 एयर हिस्सा संयुक्त रूप से है। जिनके नाम व हिस्से इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2067–2070 में दर्ज है उक्त भूमि को आगे संबंधित भूमि सम्बोधित किया जायेगा। हमारे स्व0 पिता व पति स्व0 बिल्लू राम की दिनांक 12.05.2014 को मृत्यु होने के बाद उक्त वर्णित सम्पत्ति हमारे नाम आ गई है। हम स्व0 बिल्लू राम के कानूनी वारिस है। और कोई अन्य वारिसान नही है

यह है कि ुखत्यारकार्त/मुखत्यारकर्तागण के पति व पिता स्व0 श्री बिल्लू राम पुत्र प्यारे लाल ने अपनी आराजी 7.624 एयर हिस्सा के मालिक की हैसियत से एक डवलपमेंट इकरानामा दिनांक 08.05.13 पंजीकृत दिनांक 09.05.13 के मुखत्यारे आम जो डवलैपर है के साथ कथित भूमि को रिहायसी कालोनी में विकसित करने के लिए किया गया है। हम हमारे स्व0 पिता व पति बिल्लू राम द्वारा उक्त कम्पनी मैसर्स शिल्पकार हाउसिंग के नाम किये गये विकास अनुबंध से स्वयं को अनुबंधित करते है एंवम् उन्हें अपना मुख्त्यार आम नियुक्त करते है।

यह है कि कथित डवलपमेन्ट ईकरारनामा के तहत मुखत्यारकर्तागण ने मालिक की हैसियत से डवलेपर या उसके अधिकृत व्यक्ति के हक में मुखत्यारनामा आम तहरीर करने का वायदा किया था जिसमें कथित डवलपमेंट ईकरारनामा की शर्त पूर्ण करने के लिए डवलेपर को सभी हक प्राप्त हो। यह है कि कथित डवलपेन्ट ईकरारनामा के तहत मुखतारकर्ता/मुखतारकर्तागण मालिक की हैसियत से मैसर्स शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0 , या इसकी सहयोगी संस्था पंजीकृत पता – 9 , एडमोनटन मॉल , भू–तल , द ब्रिस्टल होटल गुडगांव हरियाणा – 122002 जरिये निदेशक श्री अजय जिंदल पुत्र स्व0 श्री पुरूषोतम गुप्ता को अपना मुखतयारे आम नियुक्त करता/करते है और हक देते है कि मुखत्यारे आम मुखतारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण की तरफ से निम्न कार्य कर सकते है जैसे कि :– नगर विकास न्यास /डी.टी.पी. राजस्थान सरकार व अन्य वैधानिक विभागों में आवश्यक लाईसेंस , परमिशन , अनापत्ति प्रमाण पत्र , जमीन की किस्म बदलने आदि से संबंधित कार्यवाही के लिए मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण का प्रतिनिधित्व करे और कथित भूमि

Rinkuyadav
शर्मिला

उप पंजीयक, भिवाडी

आज दिनांक 2 माह January सन् 2015 को 13:42 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SMT.SHILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BILLU RAM
उम्र 38 वर्ष, जाति AHIR व्यवसाय H/W
निवासी VILLAGE THADA TEHSIL TIJARA ALWAR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता　　　हस्ताक्षर उप पंजीयक, BHIWADI
(2015000031)
(Power of Attorny When Power Given to Prom.for Const/Sale)

रसीद नं0 2015000027 दिनांक 02/01/2015
पंजीयन शुल्क रू0 10000/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 10/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/-
कुल योग रू0 10310/-

(2015000031)　　उप पंजीयक, BHIWADI
(Power of Attorny When Power Given to Prom.for Const/Sale)

धारा 54 के तहत प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विकय पत्र
की मालियत रूपये 0
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 10000 कुल रूपये 10310
जरिये रसीद संख्या 2015000027 दिनांक 02/01/2015
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 0
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2015000031)　　उप पंजीयक, BHIWADI
(Power of Attorny When Power Given to Prom.for Const/Sale)

को विकसित करने से संबंधित प्रत्येक कानून के तहत कार्यवाही करें।

मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण की तरफ से निम्न कार्य करें जैसे कि :–

1. नगर विकास न्यास /डी.टी.पी. राजस्थान सरकार ने अन्य वैधानिक विभागों में आवश्यक लाईसेंस , परमिशन , अनापत्ति प्रमाण पत्र , जमीन की किस्म बदलने आदि से संबंधित कार्यवाही के लिए मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण का प्रतिनिधित्व करे और कथित भूमि को विकसित करने से संबंधित प्रत्येक कानून के तहत कार्यवाही करें।
2. कथित भूमि पर कब्जा ले , उसका ब्यौरा तैयार करें, अस्थाई ऑफिस बनाए, निशानदेही करें, नक्शा बनाए, उसको पास होने के लिए नगर विकास न्यास /डी.टी.पी. राजस्थान सरकार या अन्य किसी संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करावें, रिहायशी कालोनी बनाने के लिए लाइसेंस परमिशन, सहमति ले और उससे संबंधित अहर्ताओं को पूरा करें।
3. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण की तरफ से डवलपमेंट ईकरारनामा की शर्तो को पूरा करने के लिए रिहायसी कालोनी विकसित करने के लिए नगर विकास न्यास/डी0टी0पी0 राजस्थान सरकार व अन्य विभागों द्वारा जारी लाइसेंस और परमिशन के मुताबिक कार्य करें।
4. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण के प्रतिनिधि के रूप में विकसित की जाने वाली कालोनी से संबंधित विज्ञापन दें , होर्डिंग लगाए , बैनर लगाए , मुखत्यार आम उचित समझें करें/करावें।
5. कथित भूमि को विकसित करने के लिए मुखत्यारेआम को हक होगा कि नक्शा बनावें , हस्ताक्षर करें , योजना बनावें , डिजाईन बनावें , हलफनामा देवें , इण्डेमिनिटी बाण्ड देवें , अण्डरटेकिंग देवें। और समय–समय पर सरकारी विभागों द्वारा लाइसेंस परमिशन अनापति प्रमाण पत्र, नक्शा पास करवाने, सटिफिकेट लेने के लिए आवश्यक अहर्ताओं को पूरा करें।
6. कथित भूमि को विकसित करने के लिए मुखत्यारे आम को हक होगा कि किसी एजेन्सी के साथ/ईकरानामा/मुहायदा करें और एजेन्सी को पैमेन्ट करें।

Rinku yadav

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)

1-SMT.SHILA DEVI/BILLU RAM
Age:38, Caste-AHIR
Ocu.-H/W
R/O-VILLAGE THADA TEHSIL TIJARA ALWAR

2-RINKU KUMARI/BILLU RAM Rinku yadav
Age:19, Caste-AHIR
Ocu.-STUDENT
R/O-VILLAGE THADA TEHSIL TIJARA ALWAR

3-SHARMILA/BILLU RAM
Age:18, Caste-AHIR
Ocu.-STUDNET
R/O-VILLAGE THADA TEHSIL TIJARA ALWAR शर्मिला

4-PAWAN KUMAR /SARPARST BY/SMT.SHILA DEVI/BILLU RAM
Age:38, Caste-AHIR
Ocu.-H/W
R/O-VILLAGE THADA TEHSIL TIJARA ALWAR

(And Claimant)

1-M/S SHILPKAR HOUSING PVT.LTD. THRO BY/ AJAY JINDAL/LATE.PURSHOTAM GUPTA
Age:38, Caste-MAHAJAN
Ocu.-BUSINESS
R/O-9 GRPUND FLOOR EDMONTON MALL THE BRISTOL HOTEL GURGAON
R/O-9 GRPUND FLOOR EDMONTON MALL THE BRISTOL HOTEL GURGAON

ने लेख्यपत्र Power of Attorny When Power Given to Prom.for Const/Sale
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री AJAY KUMAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री BEER SINGH उम्र 25 वर्ष
जाति AHIR व्यवसाय BUSINESS
निवासी SALARPUR TIJARA ALWAR

2. श्री / श्रीमती / सुश्री HIMANSHU
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RADHEY SHYAM उम्र 20 वर्ष
जाति DHANKA व्यवसाय BUSINESS
निवासी ALWAR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015000031) उप पंजीयक, BHIWADI
.(Power of Attorny When Power Given to Prom.for Const/Sale)

आज दिनांक 02/01/2015 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 24
में पृष्ठ संख्या 12 क्रम संख्या 2015000001 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 51
के पृष्ठ संख्या 100 से 108 पर

7. नगर विकास न्यास/डी0टी0पी0 राजस्थार सरकार से आवश्यक इजाजत मिलने पर डवलमेंट ईकरारनामा के अनुसार डवलैपर की हैसियत से आवश्यक कागजात तहरीर करें, पंजीकृत करावें और मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण की तरफ से हर प्रकार की कार्यवाही करें।

8. नगर विकास न्यास/डी0टी0पी0 राजस्थान सरकार से आवश्यक इजाजत मिलने पर इच्छुक खरीददारों से कीमत के मुताबिक पैसे वसूल करें, रसीद दें, इकरारनामा करें और उससे संबंधित हर प्रकार की कार्यवाही करें।

9. नगर विकास न्यास/डी0टी0पी0 राजस्थान सरकार से आवश्यक ईजाजत मिलने पर डवलपमेंट ईकरारनामा के तहत अपने हिस्से के फ्लैट /विला पर बने हुए भाग की खरीददार को अनापत्ति प्रमाण देवें।

10. कथित भूमि को विकसित करने से संबंधित कोई मुकदमा, सम्मन, नोटिस लेवें और किसी न्यायालय दीवानी/फौजदारी /आपराधिक भूमि अधिग्रहण अधिकारी आदि के न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण का प्रतिनिधित्व करें। कोर्ट, ट्रीब्यूनल फोरम, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के न्यायालय और वैधानिक विभागों में दावा दायर करें, दावें की कार्यवाही में उपस्थित हों।

11. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण के नाम से सभी प्रकार की प्रार्थना, दावें, पिटिशन लिखित ब्यान, क्लेम, शिकायत, अपील, रिव्यू हलफनामा दायर करें और आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करें और उपस्थित हों, बयान देवें, लिखित या मौखिक गवाही देवे, किसी दस्तावेज या गवाही को मान्य या अमान्य ठहरावें और उससे संबंधित हर प्रकार की कार्यवाही करें।

12. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण के नाम पर प्रार्थना पत्र, पिटिशन ऑबजैक्शन, रिपलाई आदि दायर करें और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत न्यायालय अथवा अधिकृत विभाग से संबंधित कार्यवाही करें। भूमि अधिग्रहण अधिकारी/ ट्रीब्यूनल /राज्य सरकार या अन्य विभाग से मुआवजा मिलने की स्थिति में चैक या ड्राफ्ट द्वारा मुआवजा प्राप्त करें।

Rinku yadav

13. मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण के नाम से कागजात माल, राजस्व विभाग, जैसे तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलैक्टर, राजस्व मण्डल, फाईनैशियल कमिशनर विभाग में प्रार्थना पत्र देवें , हस्ताक्षर करें और सरकारी विभाग से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करें।

14. सरकारी खजाने, बैंक आदि में स्टाम्प खरीदने के लिए चालान जमा करावें, हस्ताक्षर करें, कोर्ट फीस जमा करावें, स्टाम्प रिफण्ड की प्रार्थना दर्ज करें, प्राप्ति रसीद दें।

15. केन्द्रीय/राज्य सरकार के न्यायालयों में कार्यवाही करनी पड़े तो न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए वकील मुकरर करें।

16. रजिस्टार/तहसीलदार के कार्यालय में दस्तावेज पंजीकृत कराने के लिए खजाने में स्टाम्प पेपर खरीदनें के लिए पैसे जमा करावें और स्टाम्प वगैरा रिफण्ड कराने की सूरत में खजाना माल से रिफण्ड प्राप्त करें।

17. रजिस्टार/तहसीलदार के कार्यालय में मात्र फ्लैट/विला/दुकान मात्र फ्लैट वा तामीर मुद्रा जायदार के नीचे समान्तर आये दस्तावेज पंजीकृत कराने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करें, हस्ताक्षर करें, जरें समनल वसल करें, रसीद देवें और पंजीकरण से संबंधित हर प्रकार की कार्यवाही करें। पंजीकृत दस्तावेज को लेने का हकदार होगा।

18. कथित भूमि और उस पर बनी तामीरात/आवासीय ग्रुप हाउसिंग का इंतकाल कागजात माल में खरीददार के नाम दर्ज व मंजूर कराने के लिए राजस्व विभाग और अधिकारियों के समक्ष नाम दर्ज व मंजूर कराने के लिए विभाग और अधिकारियों के समक्ष पेश होवें और इंतकाल दर्ज व मंजूर करावें।

19. कथित भूमि और उस पर बनी तामीरात/आवासीय ग्रुप हाउसिंग से संबंधित हर प्रकार के टैक्स फीस, भूमि राजस्व खर्चे और अन्य हर्जे खर्चे जमा करावे और आवश्यक हुआ तो आग, भूकम्प आदि से होने वाले नुकसान के लिए बीमा करावें, बीमे की राशि जमा करावें और अवधि बीमा पूरी होने पर बीमा की राशि प्राप्त करें।

20. कथित भूमि या उसके किसी भाग पर अवैधानिक कब्जे से संबंधित कानूनी कार्यवाही करें और उचित कदम उठाए और इस प्रकार होने वाली दिक्कतों को दूर रखें। उन्हें मान्य

Rinku yadav
शर्मिला

उप पंजीयक, भिवाडी

होगा और ऐसा समझा जावेगा जैस कि मुखत्यारकर्ता/मुखत्यारकर्तागण ने स्वयं किया हो और मुखत्यारे आम द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य को हर प्रकार से पूर्ण करने का पाबन्द रहेगें।

21. फ्लैट/विला दुकान ट्रांसफर करें और तमाम प्रोजेक्ट उसके हिस्सों को खरीददार को ट्रांसफर करें, और संबंधित रिकार्ड के विभाग में इन्द्राज तबदील करावें।

22. पूरी जमीन को किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते है।

23. हर प्रकार के फ्लैट/विला/दुकान आदि बैयनामा, हिब्बे नामा, पट्टा नामा, तर्क नामा रहन नामा, लाईसेंस डीड, साजिस का अवार्ड इत्यादि रजिस्टर्ड करावें। उसे हर प्रकार के दस्तावेज को तहरीर करने का भी अधिकार है।

24. खरीददार/पट्टेदार को हक कब्जा देवे वा उसे बारे में तमाम कार्यवाही करे प्रकार के दस्तावेज को पंजीकृत कराने के लिए स्टाम्प पेपर आदि खरीदें ।

25. बेचान/बेची गई/पट्टे पर दी गई लाईसेंस पर दी गई जायदाद के बारे में तमाम कागजात से किराया, लाईसेंस फीस, टैक्स आदि प्राप्त कर रसीद देवें। उपरोक्त किसी पट्टेदार लाईसेंस द्वारा राशि की अदायगी होने पर तमाम रकम वसूल करें अगर राशि की वसूली ना हो तो कानून के मुताबिक वसूली करायें। मार्फत वकील नोटिस भिजवाये व जायदाद खाली कराने हेतु कार्यवाही करके कब्जा लेवें।

26. मुख्तयार को वे सब कार्य करने का अधिकार है। जिससे कि उपरोक्त आराजी पर प्रोजेक्ट लगाया , तामीर किया जाकर बेचान किया जा सकें।

27. तमाम बैंक आदि से लोन वगैरह बारे कार्यवाही करें केवल लाईसेंस प्राप्ति के बाद फ्लैट/विला/दुकान धारकों को बैंक लोन प्रदान हेतु एवं प्रोजेक्ट को किसी भी बैंक अथवा संस्था से प्रमाणित करावें वा इस जायदाद के बतौर सिक्योरिटी बैंक के दे और लोन के बाद में तमाम दस्तावेजात तहरीर करें।

28. यह तय पाया है कि मुखत्यार आम को उक्त जमीन को रहन, बैय, हिब्बा, बेचान विक्रय करने का अधिकार नहीं है केवल जमीन पर निर्माण कर विक्रय करने का अधिकार है।

Rinku yadav
शर्मिला

उप पंजीयक, भिवाडी

29. यह तय पाया है कि मुख्तयार आम को उक्त जमीन पर किसी भी वित्तीय संस्था से किसी भी तरह का प्रोजेक्ट ऋण लेने का अधिकार है।

30. यह मुख्यतारआम उक्त भूमि पर 90ए एवं मानचित्र अनुमोदन होन के पश्चात् 4 साल के लिए मान्य है। यह हैं कि 4 साल के बाद दोबारा रिवाईज सहमति से हो सकता है। यह मुख्तयारआम उपरोक्त अवधि से पहले अखंडनीय है।

मुखत्यारकर्ता / मुखत्यारकर्तागण

Rinkuyadav शर्मिला

शीला देवी , रिंकु कुमारी,

शर्मिला व पवन कुमार नाबालिग

जरिये सरपरस्त माता श्रीमति शीला देवी

मुख्तयारआम

मैसर्स शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0,

जर्ये डायरेक्टर श्री अजय जिंदल

गवाह न0 1. Ajay Kumar S/o Bersingh Alwar (Raj)

2. Himanshu S/o Radhey Shyam Alwar (Raj.)

उप पंजीयक, भिवाडी